तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सुनील पारिक बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर)

सू.अ. अपील संख्या 40/2024

28/05/2024

अपीलार्थी सुनील पारिक निवासी सेक्टर एन, मकान नं. 31, जीडब्ल्यूडी रोड, शास्त्रीनगर, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 29.02.2024 में जोधपुर सांद निधि, वर्षवार ब्यौरा एवं अन्य बिन्दुओं से संबधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) ने जरिये पत्रांक 1756 दिनांक 29.04.2024 द्वारा बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर से संबंधित होने के कारण जरिये पत्रांक 1592 दिनांक 04.03.2024 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर को अंतरित की गई, जिसकी सूचना प्रार्थी को जरिये पत्रांक 1593 दिनांक 04.03.2024 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर से संबंधित होने के बारे में लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को अवगत करा दिया गया है तथा लोक सूचना अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर का प्रथम अपील अधिकारी जिला कलक्टर जोधपुर नही है। अतः लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने से अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2025.01.28 10:46:43 IST
Reason: SelfAttested